POLICE COMMISSIONERATE

PRAYAGRAJ

सराहनीय कार्य / प्रेस विज्ञप्ति- दिनांक 21.08.2025

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना नैनी पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 324/2023 धारा 392 भा0द0वि0 से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त रंजीत भारतीया पुत्र राजकुमार भारतीया निवासी डभांव का तालाब थाना नैनी प्रयागराज को मुखबिर की सूचना पर दिनांक-21.08.2025 को अभियुक्त के घर डभांव का तालाब थाना क्षेत्र नैनी से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी मुकदमा प्रभाकर चौहान पुत्र श्याम कुमार चौहान निवासी ग्राम शाहगढ़,पोस्ट शाहगढ़ थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ की तहरीरी सूचना बावत दो अज्ञात मोटर साइकिल सवार के द्वारा वादी का 02 मोबाइल फोन लेकर भाग जाने के सम्बन्ध में थाना नैनी पर मु0अ0सं0 324/2023 धारा 392 भा0द0वि0 पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत कर पुलिस टीमों का गठन कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी/बरामदगी के प्रयास के क्रम में दिनांक-22.06.2023 को प्रकाश में आये अभियुक्त मनीष कुमार माली पुत्र इन्द्रपाल माली निवासी पंजाबी हाथा नैनी बाजार थाना नैनी प्रयागराज से मुकदमा उपरोक्त में छिने गये 02 मोबाइल फोन, 110 रूपये व 01 मोटरसाईकिल बरामद हुयी थी।

उक्त अभियोग की विवेचना सीडीआर व कैफ के अवलोकन, आपराधिक मॉडिसअप्रेन्डी एवं सघन चेकिंग, आपराधिक इंटेलिजेन्स का संकलन करते हुये मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त रंजीत भारतीया पुत्र राजकुमार उपरोक्त को दिनांक-21.08.2025 को थाना क्षेत्र नैनी से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

रंजीत भारतीया पुत्र राजकुमार भारतीया निवासी डभांव का तालाब थाना नैनी प्रयागराज, उम्र करीब 30 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 324/2023 धारा 392/411 भा0द0वि0 थाना नैनी कमि0 प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. प्र0नि0 बृजकिशोर गौतम, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 उत्कर्ष सिंह, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. उ0नि0 प्रभाकर शुक्ला, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
4. उ0नि0 धर्मवीर सिंह, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
5. हे0का0 उमेश कुमार यादव, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।
6. म0का0 नैन्सी, थाना नैनी कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना करछना पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित/नामित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना करछना पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय से संबंधित मु0अ0सं0 422/2024 धारा 309(4)/115(2)/352/351(3) बीएनएस का नामित वांछित अभियुक्त लक्ष्मी सागर उर्फ बाबा पुत्र राम सूरत निवासी ग्राम सल्दी का पुरा मुंगारी थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज को आज दिनांक-21.08.2025 को गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक-21.12.2024 को वादी मुकदमा मंगला प्रसाद गौंड पुत्र स्व0 अमृत लाल गौंड ग्राम पचदेवरा थाना करछना जनपद प्रयागराज ने थाने पर लिखित सूचना दिया कि आरोपीगण लक्ष्मीसागर उर्फ बाबा एवं सिंघलदीप उर्फ कुल्ले पुत्रगण रामसुरत पता ग्राम- सल्दी का पुरा (मुंगारी) थाना औद्योगिक क्षेत्र थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज द्वारा वादी के ई-रिक्शा को मोटरसाइकिल से ओवरटेक कर वादी से 2000/- रूपये एवं 01 कीपैड मोबाइल फोन लूट लिए थे तथा विरोध करने पर विपक्षीगण द्वारा वादी को डंडे से मारा पीटा और गाली गुप्ता दिये व जान से मारने की धमकी दिये थे। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 422/2024 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्त सिंघलदीप उर्फ कुल्ले उपरोक्त को दिनांक-23.12.2024 को गिरफ्तार कर कब्जे से चोरी किये गये 2000/- रुपये नगद व कीपैड मोबाइल फोन उपरोक्त बरामद किया जा चुका है। विवेचना के क्रम में अन्य नामित वांछित अभियुक्त लक्ष्मीसागर उर्फ बाबा उपरोक्त को थाना करछना पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-21.08.2025 को गिरफ्तार किया गया।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त लक्ष्मीसागर उर्फ बाबा उपरोक्त ने पूछताछ पर बताया कि दिनांक 20.12.2024 को मैं अपने बड़े भाई सिंघलदीप उर्फ कुल्ले के साथ मिलकर मिर्जापुर हाईवे पर चम्पारण ढ़ाबा के

सामने रात्रि में ई-रिक्शा चालक को रोककर उसका मोबाइल फोन की पैड तथा दो हजार रूपये मोटर साइकिल से जाकर ओवर टेक कर लूट लिये थे।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लक्ष्मी सागर उर्फ बाबा पुत्र राम सूरत निवासी ग्राम सल्दी का पुरा मुंगारी थाना औद्योगिक क्षेत्र जनपद प्रयागराज, उम्र करीब 20 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 422/2024 धारा 309(4)/115(2)/352/351(3)/317(2) बीएनएस थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

अभियुक्त लक्ष्मी सागर उर्फ बाबा उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 185/2023 धारा 120-बी/392/411 भादवि थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. मु0अ0सं0 320/2023 धारा 120-बी/392/411 भादवि थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1. उ0नि0 रामकुमार, थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. का0 राघवेन्द्र यादव, थाना करछना कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना कोरांव पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

थाना कोरांव पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय से संबंधित मु0अ0सं0 506/2020 धारा 394/120बी भादवि में प्रकाश में आये 01 वांछित अभियुक्त गोलू सिंह उर्फ शिवम सिंह पुत्र राधेश्याम उर्फ रधई निवासी ग्राम महुगढ़ी थाना हलिया जनपद मिर्जापुर को आज दिनांक-

21.08.2025 को थाना कोरांव क्षेत्रान्तर्गत कोरांव- ड्रमण्डगंज रोड प्राथमिक विद्यालय राजपुर के पास से गिरफ्तार किया गया। नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 30.09.2020 को वादी शेर बहादुर सिंह पुत्र धर्मराज सिंह ग्राम कोसफरा कला (पूरा महादेव) थाना व तहसील कोराव जनपद प्रयागराज द्वारा थाना कोरांव पर लिखित तहरीर दी गयी कि मेरे बड़े भाई लालबहादुर सिंह के अपने डियूटी से दिनांक 29.09.2020 को घर वापस आते समय रास्ते में टी0वी0एस स्पोर्ट गाडी खड़ा करके टायलेट करने के दौरान दो अज्ञात बाइक सवार व्यक्तियों द्वारा वादी की गाड़ी को ले गये थे। जिसके संबंध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 506/20 उपरोक्त पंजीकृत किया गया था। अभियोग पंजीकृत कर टीमों का गठन कर गिरफ्तारी व बरामदगी का प्रयास किया जा रहा था । जिसके क्रम में पूर्व में दिनांक 01.10.2020 को साक्ष्य संकलन के आधार पर प्रकाश में आये अभियुक्तगण 1. रंजीत केशरी पुत्र शिवशंकर केशरी निवासी आजादनगर कस्बा व थाना कोरांव प्रयागराज 2. दिल हुसैन s/o मुन्ना अंसारी उर्फ अजमेर अली निवासी दुर्जनीपुर थाना हलिया मिर्जापुर 3. अभयराज सिंह पुत्र सुरेन्द्र प्रसाद सिंह ग्राम दुर्जनीपुर थाना हलिया मिर्जापुर 4. रोहित कुशवाहा पुत्र हरिशंकर कुशवाहा ग्राम सेमरी बाघराय थाना कोरांव प्रयागराज को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। घटना वाले दिन से ही प्रकाश में आया अभियुक्त गोलू सिंह उर्फ शिवम सिंह उपरोक्त लगातार फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा था। आज दिनांक- 21.08.2025 को थाना कोरांव क्षेत्र से अभियुक्त गोलू सिंह उर्फ शिवम सिंह उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

गोलू सिंह उर्फ शिवम सिंह पुत्र उर्फ राधेश्याम उर्फ रधई ग्राम महुगढ़ी थाना हलिया जनपद मिर्जापुर, उम्र करीब 24 वर्ष।

संबंधित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0 506/20 धारा 394/411/120B भादवि थाना कोरांव जनपद प्रयागराज।

अभियुक्त गोलू सिंह उर्फ शिवम सिंह उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1.मु0अ0सं0 188/17 धारा 392/411 भादवि थाना हलिया जनपद मिर्जापुर।
2.मु0अ0सं0 195/17 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना हलिया जनपद मिर्जापुर ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

1.प्र0नि0 राकेश कुमार वर्मा, थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
2.उ0नि0 अश्वनी कुमार यादव, थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
3.उ0नि0 श्याम सुन्दर शर्मा, थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
4.म0उ0नि0 शिवानी पटेल, थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
5.उ0नि0 आशीष कुमार यादव, थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
6.उ0नि0 अजय कुमार, थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
7.का0 मनोज यादव, थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।
8.म0का0 किरन, थाना कोरांव कमिश्नरेट प्रयागराज।

थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा 01 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर व अपर पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में व सहायक पुलिस आयुक्त थरवई के कुशल नेतृत्व में गंगानगर-जोन के थाना सरायममरेज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-179/2025 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 से सम्बंधित वांछित अभियुक्त कड़ेदीन पुत्र हरिशंकर निवासी ग्राम

चकसहांव थाना गोपीगंज जनपद भदोही को थाना सरायममरेज पुलिस टीम द्वारा आज दिनांक-21.08.2025 को थाना सरायममरेज क्षेत्रान्तर्गत वारी तिराहे के पास से गिरफ्तार कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण -

कड़ेदीन पुत्र हरिशंकर निवासी ग्राम चकसहांव थाना गोपीगंज जनपद भदोही, उम्र करीब 32 वर्ष।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-

मु0अ0सं0-179/2025 धारा-137(2)/87 भा0न्या0सं0 थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष सुनील कुमार मिश्र, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
2. उ0नि0 यशवन्त कुमार, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।
3. का0 आशीष यादव, थाना सरायममरेज कमिश्नरेट प्रयागराज।